

खलिहान में अग्नि दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत राशि पाने के लिये दावा पत्र का प्रारूप

1. नाम एवं आयु _____
2. पिता का नाम _____
3. पता _____
4. उ०प्र० में निवास की अवधि _____
5. खेल/खलिहान का विवरण तथा फसल एकत्रित करने की तिथि _____
6. दुर्घटना के स्थान का पूर्ण विवरण _____
7. दुर्घटना की तिथि तथा समय _____
8. आग लगने का कारण _____
9. क्या दुर्घटना की सूचना पुलिस या अन्य किसी को दी गयी है? _____
10. यदि हाँ तो कब तथा किसको _____
11. दुर्घटना से प्रभावित फसल/उपज अवशेष अंश का विवरण _____
12. खेत/खलिहान में रखी कुल फसल/उपज अवशेष अंश का विवरण तथा स्वामित्व _____
13. दुर्घटना द्वारा हुई हानि का मूल्य तथा विवरण _____
14. दुर्घटना से प्रभावित फसल/उपज अवशेष अंश का मूल्य _____
15. भूमि का क्षेत्रफल जिसकी फसल/उपज अवशेष अंश खेत/खलिहान में रखी थी _____

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा

हानि का प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पुत्री..... के खलिहान में रखी फसल/उपज/अवशेष अंश की क्षति दिनांक.....को समय..... पर अग्नि दुर्घटना द्वारा हुई तथा ऊपर दिया गया विवरण सही तथा रुपये की हानि अग्नि दुर्घटना में सही पायी गयी।

संलग्न : जाँच रिपोर्ट

सचिव मण्डी समिति/जिलाधिकारी

प्रतिभूति का प्रारूप

मै/हम..... पुत्र श्री..... आयु.....
 वर्ष, निवासी.....
 को कृषि उत्पादन मण्डी समिति..... जनपद.....
 सचिव श्री द्वारा मेरे/हमारे खलिहान
 अग्निकाण्ड के फलस्वरूप हुई आर्थिक क्षति के लिए मण्डी परिषद द्वारा लागू खलिहानों में आग
 लगने के फलस्वरूप प्रभावित उत्पादकों/कृषकों को वित्तीय सहायता दिए जाने सम्बन्धी बीमा
 सुविधा के अन्तर्गत रु० मात्र को वित्तीय सहायता
 प्रदान की जा रही है। अतः मै/हम इकरार करते हैं कि इस सम्बन्ध में हमारा दावा किसी स्वार्थवश
 लाभ प्राप्त करने अथवा धोखा देने अथवा तथ्यों या साक्ष्यों को छिपाकर या तोड़ मरोड़कर
 प्रस्तुत करने के अन्तर्गत दोषी पाया गया तो मण्डी परिषद को यह अधिकार होगा कि वह
 मुझे/हमें प्रदान की गयी उपरोक्त वित्तीय सहायता की पूर्ण धनराशि 13 प्रतिशत ब्याज के साथ
 वसूल कर ले तथा समस्त धनराशि मेरे/हमारे ओर से मण्डी परिषद को देय धनराशि के रूप में
 समझी जायेगी जिसे मण्डी परिषद, मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-20 (1) के विहित विधिक
 प्राविधानों के अनुसार वसूल करने का अधिकार होगा अथवा किसी भी रीति से वसूल करने का
 अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पिता का नाम

मण्डी समिति नाम एवं पता.....

दिनांक :

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

- 1- हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता
- 2- हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता